

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारी:- श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 32/2019

तुलछनाथ पुत्र कालूनाथ जाति नाथ निवासी बापेउ, तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोंडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :-

- 1- अपीलान्ट की ओर से - श्री सन्तनाथ योगी अधिवक्ता
2- स्टेट की ओर से - विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक 20.02.2020

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 25.11.2019 से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक, साभ्यिक व प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.11.2019 को निरस्त फरमाया जावे।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर नहीं देकर तथा नोटिस की विधिवत् रूप से तामील ना करवाकर सारी कार्यवाही एकतरफा तौर पर अमल में लाई गई। अपीलान्ट ने ग्राम बापेउ के खसरा नम्बर 608 में गैर-मुमकिन श्मशान भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया, सारी कार्यवाही रंजिशपूर्वक की गई है अपीलान्ट अपने पट्टेशुदा भूमि पर काबिज है तथा बिजली के बिल अपीलान्ट के नाम से है तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् रूप से पट्टे जारी किये गये हैं उक्त पट्टे 40-50 वर्ष पुराने हैं उक्त पट्टे आज तक निरस्त नहीं हैं अपीलान्ट उक्त भूमि पर मकान बनाकर परिवार सहित काबिज है। अपीलान्ट के हक में जारी पट्टे को आज तक चैलेज नहीं किया गया है तथा ना ही हल्का पटवारी के बयान लिये गये तथा ना ही भूमि का सीमाज्ञान किया गया। अपीलान्ट व ग्रामवासियों के विरुद्ध आपसी रंजिशपूर्वक कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट के विरुद्ध किसी भी तरह से अतिक्रमी का मामला साबित ना होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड के विपरीत आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करके रिहायशी भूमि से बेदखन करके शास्ति के आदेश दिये, जो कानून व तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.11.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

॥

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर



4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का बापेड तहसील श्रीडूंगरगढ द्वारा पी- 14 में इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी तुलछनाथ पुत्र कालूनाथ ने ग्राम बापेड के खसरा नम्बर 608 तादादी 7.45 हैक्टेयर गैर मुमकिन श्मशान भूमि में से 0.04 हैक्टेयर भूमि पर संवत् 2076 में नाजायज कब्जा कर मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। इस पर गैर सायल को नोटिस भेजा गया। जिस पर स्वयं पर तामील होकर प्राप्त हुआ। गैर सायल नोटिस तामील होने के बावजूद भी गैर सायल असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं आया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर सायल के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अपीलान्त द्वारा अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन श्मशान भूमि है। अपीलार्थी गैर मुमकीन श्मशान भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पी- 14 का अवलोकन किया जिसमें पटवारी हल्का ने यह अंकित किया गया है कि अतिक्रमी द्वारा गैर मुमकीन श्मशान भूमि पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। जबकि अपीलान्त का यह कथन है कि अपीलान्त अपने पट्टे शुदा भूमि पर काबिज है, जो ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया है। हल्का पटवारी के बयान नहीं लिये गये तथा ना ही भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। इस प्रकार यह प्रकरण मौका जांच रिपोर्ट एवं निशानदेही से संबंधित है। अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई है अर्थात् अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु अवसर नहीं मिलने के कारण अपील में प्रस्तुत कथन एवं तथ्यों पर विवेचन नहीं हो सका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.2019 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को रिमाण्ड किया जाता है कि वे पटवारी हल्का से मौका एवं रिपोर्ट का गिरदावर से निशानदेही एवं सत्यापन करवाकर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत् निर्णय पारित करें।

6. निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।



(ए.एच. गोरी)
अति.जिला कलेक्टर, (प्रशा.)
अति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), बीकानेर